P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम 2006 लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का मूल्यांकन (जनपद मुजफ्फरनगर के विशेष संदर्भ में)

पारूल मौर्य
अस्स्टिेंट प्रॉफेसर
पंचशील पी0जी0 कॉलेज,
ऊंचाहार, रायबरेली,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

औद्योगीकरण के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। औद्योगीकरण यानी 'उद्यम में रत हो जाने का कुशल धर्म' है। यह एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा अविकसित राष्ट्र अपनी अविकसित होने की कमियों को न सिर्फ जान तो हैं बल्कि उन्हें चिन्हित कर उन्हें पूरा भी करते है। अल्पविकसित राष्ट्र अपनी गरीबी, असुरक्षा और पिछडेपन की समस्याओं का समाधान इसी के माध्यम से करते हैं। तथा विकसित देश अपनी प्रगति की चरम सीमा तक इसी मार्ग से पहुंचने हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री– पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि औद्योगीकरण पर ही किसी देश की वास्तविक उन्नति निर्भर करती है। तथागत गौतम बुद्व की वाणी को यदि आत्मसात करें तो हम जान पायेंगे कि– ''शासन तो नीतियां बनाने के लिये ही अधिकृत होता है''। पर लोग उसके अनुदेशों पर किस तरह से नत होते हैं– बुद्विजीवियों के लिये यह निरन्तर शोध, दृष्टिकोण में यथाभूत परिवर्तन तथा आचरण के स्तर पर उतारने का विषय यह निरंतर बना ही रहेगा।

मुख्य शब्द : औद्योगीकरण, औद्योगीकरण विकास, सेवा क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन आधारों पर टिकी है। जिसमें से मुख्य है – कृषि विकास, दूसरा है औद्योगिक विकास और तीसरा आधार है सेवा क्षेत्र का विकास। तीनों ही का भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग–अलग योगदान है। कृषि जहां बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देती है वहीं लोगों का भरण पोषण भी करती है।। घनिष्ठा से जुड़े हुए कि कोई भी क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा या अनदेखी नहीं कर सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तीनों आधारों के समुचित और संतुलित विकास पर ही निर्भर है।

औद्योगिक विकास एक व्यापक शब्द है। इसमें उद्योगों की स्थापना, उनका सफल संचालन और इनके विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास शामिल है। उद्योगों और उद्यमों की स्थापना में भारी उद्योग , सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और सहायत उद्योग –सभी को शामिल किया जाता है।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का प्रश्न है –वहां पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थ–व्यवस्था के विकास की धुरी औद्योगिक विकास के साथ–साथ और इसके आसपास भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदंड कहा जाता है। लेकिन भारतीय कृषि के आधुनिक कारण में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय कृषि को परंपरागत तरीकों से, कम उत्पादन से, वर्षा पर निर्भरता से निकालकर आधुनिक कृषि यंत्र, नई टेक्नोलॉजी, रासायनिक उर्वरक और नए तौर तरीके देने का कार्य औद्योगिक विकास ने किया है। भारतीय कृषि में जूट, कॉटन, गन्ना, तिलहन और धान के उत्पादन में आशातीत सफलता पाई है। लेकिन, इन उत्पादों के प्रोसेसिंग के लिए उद्यम इकाइयां स्थापित नहीं की जाएंगी तो इन वस्तुओं का उत्पादन व्यथ्र हो जाएगा और समाज वस्त्र, चीनी, चावल, तेल जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों से वंचित रह जाएगा।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में भी औद्योगिक विकास का योगदान है। इसी प्रकार औद्योगीकरण ने शहरीकरण, अन्तराष्ट्रीय व्यापार, ग्रामीण विकास, रोजगार बढ़ाने, पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित

उपयोग, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने तथा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अध्ययन का उद्देश्य

आज के समय में औद्योगिकरण की क्या स्थिति है। जनपद मुजफ्फरनगर पर विशेष रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा हे। इसी का मैने एक संक्षिप्त दृष्टिकोण तैयार करने की व्यवस्था की है – ताकि वर्तमान उद्यमी, जो उद्यम लगाना चाहते हैं– सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का समूचित उपयोग कर सकें। तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं इसका भी अध्ययन करते हुये अपने उद्यम को बेहतर दिशा में ले जा सकें।

छात्र इसके अध्ययन से अपने शोध के विषयों के प्रति सम्यक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। तथा वे अपने अनुभव पर उपजे '' यथाभूत ज्ञान'' का आत्मसात करने का साहस करें। उसे परिवर्तन का आधार बनायें तथा आचरण के स्तर पर उतारने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। विद्या का सार और इसका विपुल क्षेत्र इसी के लिये तो परिभाषित किया जात है।

प्राचीन इतिहास

भारत में औद्योगिक विकास का इतिहास पुराना है। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व, भारत के उत्पाद विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। उस समय विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग एक चौथाई उत्पादन भारत में होता था। कपड़ा, सिल्क, मसालों और कलात्मक वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। यहॉ के उत्पाद बहुत ही उच्च गुणवत्ता के होते थे। प्रमाण बताते हैं कि ढाका के उत्पादित मलमल नामक कपड़े के 15 गज वाले थान को अंगूठी में से निकाल कर, उसकी गुणवत्ता की परख की जाती थी। कहा जाता है कि जब यूरोप के निवासी जंगलों में रहा करते थे, तब उन्हें वस्त्र पहने की कला और वस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य भारत ने किया।

भारत के दार्शनिक मानते हैं कि, ''भारत में अंग्रेजी नीतियां लागू होने और वहां की अद्योगिक क्रांति ने भारत के औद्योगिक विकास और यहां की विरासत को तहस–नहस कर दिया'' क्योंकि अंग्रेजी नीति के अनुसार भारत के बाजार मशीन निर्मित उत्पादों से भर दिए गए। और यहां के प्राकृतिक संसाधन और कच्चे माल विदेशों को निर्यात किये गये। इस प्रकार भारत का उद्योग और हस्तकला गिरता चला गया।

स्वतंत्रता के बाद, भारत मे औद्योगिक विकास का रूख किया गया लेकिन उस समय भरण पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को महत्व दिया गया। साथ ही साथ औद्योगिक विकास की भी रूपरेखा बनाई गई। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को उभारने का निर्णय लिया गया। इसी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की हिदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान टूल्स, इंटिग्रल कोच फैक्ट्री जैसी इकाइयों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की विस्तृत रूपरेखा बनाई गई और औद्योगिक नीति 1956 लागू की गई।

इस योजना में आधारभूत और कैपिटल गुड्स उद्योगों की भारी इकाइयॉ स्थापित की गई और औद्योगीकरण का मजबूत आधार तैयार किया गया। लौह, इस्ताप, कोयला, हैवी इंजीनियरिंग, मशीनरी निर्माण, प्राथमिक रसायन एवं सीमेंट जैसे क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं तथा छोटे और लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा रूचि लिए जाने के कारण , औद्योगिक विकास की दर क्रमशः 5.7% , 7.2% , तथा 9. 8% रही। जबकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विकास की दर 4.8% , 13.6% और 19% रही। इसके बाद की चौथी, पाचवी, छठी, तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को पर्याप्त बल मिलता चला गया।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक इतिहास

भारत के ह्रदय स्थल के रूप में माना जाने वाले उत्तर प्रदेश का इतिहास गौरवमयी रहा है। यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रदेश है। इसमें 18 मंडल, 75 जनपद एवं 822 सामुदायिक विकास केंन्द्र हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल मे से लगभग 7.3% क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ थी, जो संपूर्ण देश की आबादी का लगभग 16.5% है। वर्ष 2015–16 के मूल्यों के अनुसार, राज्य की जीडीपी 11,45,234 करोड़ थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का यह 8.4% हिस्सा था। इसलिये, यह देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिनी जाती है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से तृतीय सेक्टर का वर्चस्व है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की खाद्य–टोकरी (फूठ–बास्केट) के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह राज्य गन्ना, परवल, मटर, आलू, खरबूजा, तरबूज, कद्दू, दूध और दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, क्योंकि सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम– उत्तर प्रदेश में स्थानीय रूप से कई व्यवसायिक विशेष समू हैं – जैसे अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर, आगरा का चर्म उद्योग, कानपुर का वस्त्र व चर्म उद्योग, मुरादाबाद का पीतल, हैंडीक्राफ्ट, लखनऊ का चिकन कार्य, मेरठ का उस्तरा व कैंची, खेला का सामान, गजक व रेवड़ी, भदोही का कालीन, बनारस की साड़ी, कन्नौज का इत्र और खुर्जा का पॉटरी उद्योग आदि। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भी भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उद्यम जहां एक ओर घरेलू जरूरत की वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल व्यक्तियों को रोगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ,

स्वरोजगार की आरे भी आकर्षित करते हैं। इस क्षेत्र की छोटी से छोटी यूनिट भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में लगभग 7 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 17% है। इस क्षेत्र के कुछ उत्पाद तो इतने अनूठे हैं कि जिनके कारण निर्यात क्षेत्र को भी गति मिल रही है। यह क्षेत्र एक ओर ग्रामीण अंचल को औद्योगिक वातावरण प्रदान करता है, वही कच्चे माल को ग्रामीण क्षेत्रों में खपत करके स्थानीय उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराता है।

यह क्षेत्र पर्यावरण के लिए अनुकूल है। वर्तमान में यह क्षेत्र आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आधुनिक एवं ब्रांडेड स्तर के उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम हुआ हैं।अब सरकार या नीति निर्माता भी इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात है कि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।

अर्थव्यवस्था के लिये इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होने के बाद भी, देश की आजादी के बाद भी छोटे लघु और कुटीर उद्योगों के लिए अलग से कोई नीति नहीं बनाई गई ना ही कोई अधिनियम पारित किया गया। केवल औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम 1951 लागू किया गया जोा सभी प्रकार के उद्योगों के लिए था। यह बड़े उद्योगो तक ही सिमट कर रह गया। उद्योग क्षेत्रं के लिये लगभग 1000 उत्पाद आरक्षित थे। इन उत्पादों का उत्पादन केवल लद्यु उद्योग की इकाईयॉ ही कर सकती थीं। लेकिन धीरे–धीरे यह आरक्षण की सूची छोटी होती गई और आर्थिक सुधारों के लागू होने के कारण यह सूची लगभग समाप्त हो गई।

1991 में देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों को लागू किया गया जिसमें अन्य क्षेत्रों के समान ही औद्योगिक क्षेत्र को भी कई तरह के पतिबंधों से मुक्त किया गया। छोटे और कुटीर उद्योगो को इन सुधारों से भी गति नहीं मिल पाई क्योंकि इस क्षेत्र की अलग से कोई पहचान स्थापित नहीं हो सकी थी। लद्यु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता देने की मांग लगातार जारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण के निरंतर विकास और समाज मे इसके बढ़ते योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में एक अलग से अधिनियम पारित किया गया। इसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऐक्ट 2006 कहा गया।

माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऐक्ट 2006

यह अधिनियम मुख्यतः लघु और कुटीर उद्योगों के लिए ही पारित किया गया था। इसमें विशेषतया तीन बातों पर बल दिया गया। इसमें ''उद्योग'' शब्द को नए सिरे से परिभाषित किया गया। ''इंडस्ट्री'' (Industry) के स्थान पर '' उद्यम '' यानी (Enterprise) शब्द का प्रयोग किया गया। इस परिवर्तन के कारण सेवा क्षेत्र में लगी इकाइयों को भी उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया और उन्हें भी औद्योगिकरण के लिए घोषित योजनाओं, सुविधाओं या सहायताओं का लाभ मिलने लगा।

इसी के साथ उद्यम शब्द को 3 श्रेणियों में विभाजित करके उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। दूसरे बिंदू से इस क्षेत्र के विकास के लिए अलग से वित्त, विपणन और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई। तीसरे बिंदु से इस क्षेत्र के उद्यमियों के लिए विकसित तथा रूके हुये भुगतानों मे सहायता करने की व्यवसथा की गई। इन तीनों बिंदुओं का विवरण इस प्रकार है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा

सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2006 के अनुसार उद्यमों को दो हिस्सों में विभाजित करके परिभाषित किया गया।

निर्माण उद्यम

वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन में संलग्न औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 की अनुसूची प्रथम में शामिल उद्यम। ये अपनी निर्माण प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग में ला रहे प्लांट और मशीनरी की कीमत के आधार पर उद्यमों को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया।

सूक्ष्म यानी 'माइक्रो इंटरपाइजेज'

इन उद्योगो में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी की कीमत 25 लाख रूपये तक हो सकती है।

लघु यानी ' स्माल उद्यम '

इन उद्योगो में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी की कीमत 25 लाख रूपये से लेकर 5 करोड़ रूपये तक होती है।

मध्यम यानी ' मीडियम उद्यम '

इन उद्योगो में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी की कीमत 5 करोड़ रूपये से लेकर 10 करोड़ रूपये तक होती है।

भारी उद्योग

10 करोड़ रूपये से अधिक राशि वाले उद्यमों को भारी उद्योग कहा जाता है।

सेवा उद्यम : यानी ' सर्विस इंटरप्राइजेज '

सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों को भी उद्यम का दर्जा दे दिया गया है। निर्माणी उद्यमों की भांति ही सेवा उद्योगो को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है।

सूक्ष्म यानी 'माइक्रो सर्विस इंटरपाइजेज'

इन उद्योगो में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी की कीमत 10 लाख रूपये तक हो सकती है।

लघु यानी 'स्माल सर्विसेज उद्यम'

इन उद्योगो में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी की कीमत 10 लाख रूपये से लेकर 2 करोड़ रूपये तक होती है।

मध्यम यानी 'मीडियम सर्विसेज उद्यम'

इन उद्योगो में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी की कीमत 2 करोड़ रूपये से लेकर 5 करोड़ रूपये तक होती है।

वर्ष 2006 से लेकर 2018 तक सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों की यही परिभाषा अपने स्थान पर कायम रहीं लेकिन उद्योग जगत द्वारा इस परिभाषा में बदलाव

की लगातार मांग की जाती रही। अतः भारत सरकार ने फरवरी 2018 में इस परिभाषा में बदलाव किया। निवेश की जाने वाली राशि के स्थान पर ' टर्नओवर ' को परिभाषित किया गया। इस नई परिभाषा से इस क्षेत्र के विस्तार और विकास की संभावना बढ़ गई और वार्षिक टर्नओवर का मिलान भी अब जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से कुशलतापूर्वक संभव हो गया। इससे दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर क्षेत्र का आधुनिकरण किया जा सकेगा।

अतः अब 2018 के बाद यह परिभाषएं निम्न प्रकार से मान्य हैः–

सूक्ष्म यानी 'माइक्रो इंटरपाइजेज'

इन उद्योगो वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रूपये तक हो सकता है।

लघु यानी 'स्माल उद्यम'

इन उद्योगो वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रूपये से लेकर 75 करोड़ रूपये तक होता है।

मध्यम यानी 'मीडियम उद्यम'

इन उद्योगो वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ रूपये से लेकर 250 करोड़ रूपये तक होता है।

विकास कार्यक्रम

इन नये अधिनियमों के कारण सभी क्षेत्र की इकाइयों के लिए नई विकास योजनाओं को प्रस्तावित किया गया। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कर्मचारियों के कार्य कौशल को बढ़ाना, प्रबंधकों और उद्यमियों का प्रशिक्षण, तकनीकी सेवाओं में अपग्रेडेशन, पिणन सहायता, सूचना प्रौद्योगिकी का समायोजन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि। विपणन सहायता के रूप में सरकारी खरीद में ऐसे उद्यमों को वरीयता देना आदि शामिल है।

विलंबित भुगतान

यह देखा जाता रहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम का भुगतान बड़ी इकाईयों द्वारा रोक दिया जाता है या भुगतान में विलंब किया जाता है। इस मद में सहायता के लिए राज्य सरकार के स्तर पर 'सहायता परिषद' की स्थापना एवं विलम्ब अवधि के लिये ब्याज और आर्थिक दण्ड को भी शामिल किया गया है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का मूल्यांकन

जनपद मुजफ्फरनगर – उत्तर प्रदेश का एक समृद्व जनपद माना जाता है। कृषि और उद्योग दोनों क मामले में उत्तर प्रदेश मे वर्ष 2011–2012 तक यह बड़ा जनपद माना जाता था। लेकिन इसके बाद इसका अधिकांश ग्रामीण हिस्सा अलग करके शामली जनपद का सृजन किया गया। वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले के पारिसीमन में मुजफ्फरनगर सदर, खतौली, जानसठ एवं बुढ़ाना तहसील शामिल हैं। वर्तमान में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 28,29,665 हैं। इसमें से 14,94,360 पुरूष और 13,35,505 महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या के 20,24,655 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 8,05,210 शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। जनपद का कुल क्षेत्रफल 4008 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या घनत्व 1034 व्यक्तियों का है। जनपद में कुल 587 गांव और 27 नगरीय क्षेत्र हैं।

जनपद की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 52,405 रूपये है। जनपद की साक्षरता दर 69.1% है। जनपद की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग के साथ–साथ कृषि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनपद में कुल कृषि उत्पादन का लगभग 80% हिस्स गन्ना उत्पादन का है। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए मुजफ्फरनगर की मंडी एशिया की बड़ी मण्डी मानी जाती है। यहां से मुख्यतः गन्ने से बने गुड़ का व्यापार होता है। कुछ मात्रा में गुड़ का निर्यात भी किया जाता है।

औद्योगिक दृष्टि से इसे विकसित शहर माना जाता है। जनपद में कुल 53 वृहद स्तर की औद्योगिक इकाइयां है। जिनमें से आठ चीनी मिलें है। दो डिस्टलरी इकाइयां, 26 पेपर मिल, 6 इंडक्शन फर्नेस, 8 रोलिंग मिल्स, दो रसायन उद्योग तथा एक मीटर आधारित इकाइयां है। इसी प्रकार जनपद में कुद 34 मध्यम श्रेणी की इकाइयां हैं।

टेबल 1– सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद से जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विवरण

Sr. No.	वित्तीय वर्ष	इकाईयों की संख्या	पूँजी निवेश	रोजगार सृजन
	Year	Nos.	Rupees in Crores	Nos.
1	2006–07	1105	42.19	5406
2	2007–08	1172	46.92	5876
3	2008–09	1175	77.80	6003
4	2009–10	1173	65.88	6931
5	2010–11	1173	97.13	6635
6	2011–12	1172	92.85	6211
7	2012–13	1758	87.65	6330
8	2013–14	1131	73.82	14486
9	2014–15	1190	77.42	8551
10	2015–16	1529	112.43	12620
11	2016–17	2065	85.20	12684
12	2017–18	1230	81.90	9300
13	2018–19	1234	91.09	9379

*सौजन्य स्रोत कार्यालय उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र–मुजफ्फरनगर

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 लागू होने के बाद जनपद मुजफ्फरनगर की स्थिति

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 लागू होने के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो इकाइयां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में नहीं आ पा ररही थी वह भी अब इन परिभाषाओं के अन्तर्गत आ गई हैं। जनपद में भारी श्रेणीी के उद्योगों के विकास का कारण यह है कि यहां का कृषि क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उत्पन्न करता हैं। गन्ना जनपद का मुख्य कृषि उत्पाद है, इसलिए जनपद में आठ चीनी मिलें स्थापित हो गई हैं। इनमें मिलों से उत्पन्न शीरें के कारण जनपद में दो स्टिलरी इकाइयां भी स्थापित है।

इसी प्रकार जनपद का काफी बड़ा हिस्सा गंगा का खादर क्षेत्र हैं जहां से उत्पन्न घास फूस जैसे कृषि आधारित अपशिष्ट मिलने के कारण, बड़ी संख्या में कागज की मिले स्थापित हो गई हैं। जनपद में कृषि उपकरणों की भी पर्याप्त मात्रा में खपत है। जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के जो आंकडे उपलब्ध हैं उनसे कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। गत 12–13 वर्षो के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के आंकड़ों को देखने से ही स्पष्ट होता है कि कई मदों में समानता है।

1. इतने वर्षो में इस क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना में मात्र लगभग 10% की वृद्वि हुई है।
2. प्रतिवर्ष लगभग समान संख्या में इकाइयां स्थापित हो रही है।
3. पूंजी निवेश की भी औसत दर तीन से पॉच लाख रूपये तक ही है।
4. प्रति इकाई रोजगार का औसत लगभग पांच व्यक्तियों का है।

निष्कर्ष

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में कुछ सुविधाओं का भी उल्लेख मिलता है। यदि सुविधाओं की दृष्टि से जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का अध्ययन किया जाए तो पता लगता है कि जनपद में लागू दो सरकारी योजनाओं – प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ही अधिकांश इकाइयों को वित्त की सुविधा मिली है। यह दोनों सरकारी योजनाएं हैं। अतः इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप इकाईयों को वित्त पोषित करना बैंकों की मजबूरी रही है। अन्यथा नई इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को अंगुलियों पर गिना जा सकता है।

उद्यमियों से बात करने पर पता लगा कि बैंक चालू इकाइयों की कार्यशील पूंजी के लिए ऋण देने में अधिक रूचि लेते हैं। अब तक स्थापित इकाइयों में से महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा स्थापित इकाइयों की संख्या नगण्य है। यही कारण हैं कि जनपद मं औद्योगिक इकाइयों का औसत पूंजी निवेश 3 से 5 लाखा रूपये तक ही सीमित रह गया।

' एम.एस.एम.ई. – ऐक्ट 2006 ' में लघु उद्यमों के विलंबित भुगतान के सम्बंध में सुविधाओं की जो घोषणा की गई है, वह इस जनपद की स्थिति को देखते हुये अच्छी नहीं कही जा सकती। यद्यपि, उद्योग निदेशालय कानपुर के स्तर पर इस मद में प्रवेश की इकाइयों को सहायता देने के उद्देश्य से 'फैसिलिटेशन काउंसिल' स्थापित व कार्यरत है लेकिन इस सुविधा का लाभ जनपद की किसी इकाई को नहीं मिला है।

आंकड़ों को देखते हुये कहा जा सकता हैं कि प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति – जनपद मुजफ्फरनगर में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हो रही है। जनपद में औद्योगिक विकास को विस्तारित करने एवं गति प्रदान करने के लिए जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार की आरे से जिला उद्योग केन्द्र एवं बैंकों का समन्वय करने के लिए ''जिला अग्रणी बैंक'' का कार्यालय स्थापित है। पर इन दोनों कार्यालयों के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधी अनेक सूचनाएं जैसे :–

1. कुल स्थापित इकाइयों में से कितनी इकाइयां सूक्ष्म श्रेणी की है?
2. कितनी इकाइयां लघु श्रेणी की है?
3. इन इकाइयों में कितनी इकाइयां बंद हो चुकी है?
4. कितनी इकाइयां बीमार है ?
5. कितनी इकाइयों को वित्त की आवश्कता है ?
6. यह इकाइयां कितनी कितनी भूमि पर स्थापित है ?
7. इनमें कितनी विद्युत की खपत होती है ?
8. इन इकाइयों का वार्षिक एवं मासिक उत्पादन कितना है ?
9. कितना जी0एस0टी0 दिया जा रहा है ?
10. कितनी इकाइयों को किस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा रहा है ?
11. कितनी इकाइयों ने अपना आधुनिक करण किया है ?
12. कितनी इकाइयों में नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है ?
13. कितनी इकाइयां सरकारी खरीद योजना का लाभ ले रही है ?

उपर्युक्त प्रश्नों से संबंधित काई ठोस सूचना इन संस्थानों के पास उपलब्ध नहीं है। जबकि इस प्रकार की सूचनाएं भावी योजनाएं बनाने एवं नीतियां निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। अतः जनपद की औद्योगिक विकास का व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक हो जाता है। इसके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। तभी एक बेहतर शासन एवं राष्ट्र का गौरवमयी सपना सीाव हो पायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सूक्ष्म, लघु वं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिर्पोट 2016–17 एवं 2017–18

विकास आयुक्त – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम–भारत सरकार की वेबसाइट

प्रेस सूचना ब्यूरों की प्रेस विज्ञप्तियां

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006

कार्यालय– उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र – मुजफ्फरनगर की विभिन्न वर्षो की वार्षिक रिर्पोट

'जिला अग्रणी बैंक' कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक की वार्षिक रिर्पोट

संयुक्त आयुक्त उद्योग– सहारनपुर मंडल की वार्षिक रिर्पोट

बिजनेस लाइन – जुलाई 2018

पूजा मेहता कृत ''रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इकोनामिक ग्रोथ, इंडस्ट्राइलाइजेशन एंड इंडियन इकोनामिक डेवलपमेंट''

दीपाली पाल इन इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया सिविल्स डेली डाट कॉम